भारत सरकार की "भारत–नेट/नोफन परियोजना" के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे–किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रपत्र– 2.2

भाग– III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विषेष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि 11.12.2021
स्थान हल्द्वानी।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

वन संरक्षक,

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 1591 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, अप्रैल, 19, 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **भारत सरकार की "भारत-नेट/नोफन परियोजना" के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेढ़ा से कोरी बैराज तथा कोरी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे-किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:- आपकी पत्र संख्या 1536/FP/UK/OFC/146450/2021 दिनांक 24.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या-2544/12-1 दिनांक 18.04.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे-किनारे OFC केबल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के अन्तर्गत, भारतनेट एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इस आशय हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच अनुबंध MOU No. NOFN/ROW-28 दिनांक 26.10.2012 से किया गया है जो कि परियोजना की लाइफ साइकिल तक मान्य है। मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा भी पत्रांक 366/XXXIV/2014/20/2012 दिनांक 08.08.2014 द्वारा उक्त कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 3 में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 पूर्ण संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, जो कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 1 में संलग्न है, के अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखीय (Linear) परियोजनाओं यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। FRA की धारा 3(2) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के लिए वन भूमि के Diversion को रेखीय (Linear) परियोजना के मामले में छूट दी गई है।
3.	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है।

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
4.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर दिया है। साथ ही श्री टी0 एस0 पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) बी0एस0एन0एल0, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर सम्बन्धि प्रमाण पत्र प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
5.	प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि का कुछ भाग पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित वन के अंतर्गत है इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की सहमति/आख्या प्रस्ताव में अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्र संख्या 2585/12–1 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
6.	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात् प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उपरोक्त सभी कमियों का निराकरण कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1591 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 2544/12–1 दिनांक 18.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com दूरभाष / फैक्स नं0 05947-251362

पत्रांकः- 2544 / 12-1 दिनांक, रामनगर 18 / 4 / .2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः- **वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/OFC/146450/2021 की आपत्तियों का निराकरण।**

सन्दर्भ:- **आपका पत्रांक AGM/Tx/NOFN/Ramnagar/ROW-Forest/2020-21/11 दिनांक 08.04.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी वांछित सूचना निम्न प्रारूप में भरकर प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे-किनारे OFC केबल बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित Hand Book के पैरा 4.1 एवं 4.2 के अनुसार अपेक्षित ROW की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के अन्तर्गत, भारतनेट एक प्रमुख कार्यक्रम है तथा सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा रही है। इस आशय हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के बीच अनुबंध MOU No. NOFN/ROW-28 दिनांक 26.10.2012 को किया गया है जो कि परियोजना की लाइफ साइकिल तक मान्य है। मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा भी पत्रांक 360/XXXIV/2014/20/2012 दिनांक 8.08.2014 द्वारा उक्त कार्यों हेतु की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जोकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 3 में संलग्न किया गया है।
2.	प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 पूर्ण संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या 1 के क्रम में सम्बन्धित आपत्ति की सूचना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-1 में दीयी है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) परियोजनाओं यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। FRA की धारा 3(2) के तहत भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं के लिए वन भूमि के Diversion को रैखिक (Linear) परियोजना के मामले में छूट दी गई है।

O/C

3.	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर दि गई है।
4.	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण कर दिया है। प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु श्री टी0 एस0 पांगती, सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) बी0एस0एन0एल0, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर सम्बन्धि प्रमाण पत्र प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अधिकृत किया गया है।
5.	प्रश्नगत परियोजना हेतु आवंटित वन भूमि का कुछ भाग पवलगढ़ संरक्षित आरक्षित वन के अंतर्गत है इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की सहमति/आख्या प्रस्ताव में अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आपत्ति के अनुपालन में पत्र संख्या 2585/12–1 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6.	उपरोक्त कमियों के निराकरण के पश्चात् प्रस्ताव ऑनलाइन/ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त सभी कमियों के निराकरण कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– यथोपरि चार प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांकः– 2544 / तददिनांकितः– 18/4/2022

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस) हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड जिला–नैनीताल को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

"Free Right of way order from Ukd Govt."

संख्या 966 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। देहरादूनः दिनांक 08 अगस्त, 2014

विषयः– प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) केबिल बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज-वेहिकिल के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति संलग्न) को हस्ताक्षारित किया जा चुका है।

2. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाए लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, को प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लेनी पडे, इस हेतु ब्लैंकेट अप्रूवल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल फाइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर– 5.2 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भॉति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में ले आई जाए। सडक की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क

को पार करने के लिए एच0डी0 अथवा हॉरिजेन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेगा ताकि सड़क को होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके।

(3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायतें एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) चार्जेज अधिरोपित नही किये जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायेगा। .

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW / ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की वितरण कंपनियों / पारेषण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों / पारेषण लाइनों / उप पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना / उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवाद,सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:–

1– जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
2–मुख्य विकास अधिकारी–	सदस्य सचिव
3–अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग–	सदस्य
4–अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा–	सदस्य
5–अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग–	सदस्य
6–अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिचाई विभाग–	सदस्य
7–अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष,पेयजल विभाग–	सदस्य
8–प्रभागीय वनाधिकारी–	सदस्य
9–जिलापंचायतीराज अधिकारी–	सदस्य
10–सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / नगर अधिकारी–	सदस्य
11–अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित–	सदस्य

संलग्नक.– यथोक्त।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्या366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।

2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।

3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।

4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।

6 गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)

अपर सचिव

R (GO)- 3

File No.FC-11/50/2020-FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi – 110003
Dated: 26th October, 2021

To

The Secretary (Forests),
All State Governments/UT Administrations

Sub: Clarification on applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 over RoW of Roads - regarding.

Sir,

The undersigned is directed to refer to the meeting of Group of Infrastructure held on 24.08.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister, RT&H and MSME wherein it has been desired to clarify the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of lands within the RoW, ownership of which rests with the NHAI or State Government. The matter with regard to the applicability of the Act in such lands was examined in the Ministry and after due deliberation following is clarified:

"if the ownership of land vests with MoRT&H/NHAI/State road constructing agency, it is not a 'forest' as per Government records and the same land is under 'non-forest use' before 25th October 1980, then provisions of Forest (Conservation) Act 1980 would not apply".

This issues with the approval of competent authority.

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector Generalof Forests

Copy to:

1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highway, Transport Bhawan, Parliament Street New Delhi-110001
2. PCCF (HoFF), Department of forests, all States/UTs
3. DDG (F), MoEF&CC's all IROs
4. APCCF cum Nodal Officer (FCA), Department of forests, all States/UTs.
5. PPS to Secretary, (EF&CC)/PPS to DGF&SS, MoEF&C

2/2

Signed by Sandeep Sharma
Date: 26-10-2021 18:52:00
Reason: Approved

Form-1
(For Linear project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Nainital

NO............... Dated...................

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoFf), Government of India's letter no 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009, Wherein the MoEf issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverts for non-forest purposes read with MoEf s little dated 5th February 2013 Wherein MoEf issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0.376. Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s...BSNL, NAINITAL. for Lay of Optical Fiber Cable in Nainital District.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA is exempted for the entire 0.376. Hectares of forest proposed for diversion in case of linear projects.
b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA is exempted in case of Linear project.
c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and pre agricultural communities.

District Magistrate

Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल

-: विषय सूची :-

वन भूमि पर प्रस्तावित 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के कतिपय प्रयोजनों, जिन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र/ सूचनाओं का विवरण। (मुख्य प्रयोजनः--पेयजल, स्कूल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, पारेषण लाईन, भूमिगत ओ0एफ0सी0 केबल, सामुदायिक भवन आदि)

क0 सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ संख्या
1.	Form-1 (For Linear Project)Govt. of UKD office of the DM,Nainital	-	1
2.	प्रतिवेदन with letters ROW(free right of way order) UKD Govt.	1	2-3
3.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4	4-10
4.	Certificate of BSNL Ramnagar Block/NOFN/NT/GMTD/2014-15/03	-	11
5.	BSNL attached with each Survey Reports	-	12-13
6.	BSNL Ramanagar BLK GPsroute diagram with Lat/ Long	-	14-17
7.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	18
8.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	19
9.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (SIR)	5	20
10.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6 व 7	21-24
11.	वैकल्पिक संरेखणो को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र	8	25
12.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	26
13.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	27-28
14.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	29
15.	वार चार्ट का प्रारूप	13	30
16.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्याँकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6	31-37
17.	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र ।	16	38
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	—
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	39
20.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन,आई०टी० एवं आधुनिकरण द्वारा हवाई दूरी का प्रमाण. पत्र ।	20	40
21.	मानक शर्तो का मान्य होने का प्रमाण.पत्र ।	29	41-42
22.	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण .पत्र व परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण.पत्र ।	31 व 32	43

23.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारो के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	44
24.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो) संलग्न तहसील रामनगर पर स्थित क्षेत्र की सर्किल दरें (200 मीटर से बाहर)	34	45-46
25.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र /क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्रमाण.पत्र व क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र।	35 व 36	47
26.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	48
27.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन।(1.00है0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	48
28.	मालवा निस्तारण योजना व मानचित्र।	41	49
29.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	50
30.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	51
31.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन। (यदि लागू हो)	44	52
32.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों मे) व वन संरक्षण अधिनियम ,1980 का उल्लंघन न होने प्रमाण.पत्र।	45 व 46	53
33.	MOU (Memorandum of Understanding) DOT,Govt. of India,Govt. of Uttarakhand, BSNL/BBNL	-	54-56
34.	राज्य में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन पत्र मुख्य सचिव द्वारा	-	57-58
35.	Letter NOFN work-Regarding action on review meeting letter from आयुक्त कुमाऊँ मंडल ,नैनीताल (Commissioner Kumaon Division,Nainital)	-	59-60
36.	वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को ऑन-लाइन अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा	-	61-63
37.	Network connectivity issues in the state of Uttarakhand letter from Director(ASTF-I)Govt. Ministry of Communications,Dept. of Telecommunications ,New Delhi	-	64
38.	Letter from PS Office of the Communications, Law & Justice and Electronics & Information Technology to Hon'ble State Minister	-	65
39.	Letter from State Member of Parliament(Rajya Sabha) to Central Telecom Minister for State network Connectivity.	-	66

परियोजना का नाम :—भारत सरकार की **" भारत-नेट / नोफन परियोजना "** के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

प्राधिकरण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खंड जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि प्रस्ताव ,**श्री टी.एस.पांगती,सहायक महाप्रबंधक(ट्रांस),बी.एस.एन.एल.,हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा अपलोड किया जायेगा ।

सहायक महाप्रबंधक
ट्रांसमिशन, हल्द्वानी (बी.एस एन.एल)
जिला -नैनीताल ,(उत्तराखंड),
Mobile No. 9412000556
Email Id: agmtxnainital@gmail.com

27.08.2021
सहायक महाप्रबंधक (प्लानिंग)
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल)
जिला -नैनीताल (उत्तराखंड)

सहायक महाप्रबन्धक (नियोजन)
कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार
जिला नैनीताल भ.स.नि.लि. हल्द्वानी

भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

कार्यालय महा प्रबंधक दूरसंचार जिला नैनीताल

दूरभाष केंद्र ,आवास विकास , हल्द्वानी- २६३१३९

सेवा में ,

श्रीमान अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ,
वन संरक्षण , इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी ,
उत्तराखंड , देहरादून

पत्रांक:- AGM/Tx/NOFN/Ramanagr/ROW-Forest/2020-21/10 दिनांक: 04.04.2022

प्रस्ताव संख्या :FP /UK /OFC/146450/2021

परियोजना का नाम:- भारत सरकार की " **भारत -नेट / NOFN परियोजना** " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे - किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) डालने हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

विषय :-परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी पर अनापत्ति प्रमाण –पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading नहीं होने के लिए आवदेन ।

महोदय ,

वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के अंतर्गत ,उपरोक्त परियोजना भारत सरकार की "भारत -नेट/NOFN परियोजना " के अंतर्गत **मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण ,मूल्यांकन, IT एवं आधुनिकरण, उत्तराखंड, देहरादून एफ०नं० -3201-2D/2020 -Forest Dept., दिनांक 07 जून 2021** द्वारा परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा होने व हवाई दूरी KML file द्वारा **678 मीटर** निर्धारित की गयी है एवं **भारत सरकार का पत्रांक -06-60/ 2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020** के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में **कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड , देहरादून पत्र संख्या -2585 /12-1, देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल ,2022** को अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गयी है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त विषय पर **अनापत्ति प्रमाण –पत्र ऑनलाइन FC परिवेश Portal में User Agency (UA) की तरफ से Uploading** की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि परियोजना का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके ।

प्रारूप 18 व 19, व प्रारूप 20 व अन्य वांछित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है ।

भवदीय
सहायक महाप्रबंधक (ट्रांस)
GMTD हल्द्वानी, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
जिला –नैनीताल (उत्तराखंड)

प्रतिलिपि :- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ ।
2. State Head & Sr.GM , भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) को सूचनार्थ ।

परियोजना का नामः— जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम टेडा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे—किनारे ऑपटिकल फाइबर केबल डालने हेतु प्रस्ताव FP/UK/OFC/146450/2021

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक—एफ0नं0—3201-2D/2020-..FOREST DEPARTMENT, दिनांक 07 जून 2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा उक्त कार्य हेतु याचित कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 678 मी0 आंकलित की गयी है। प्रस्तावित कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक—6—60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनापत्ति दी जाती है।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

85, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखंड) फोन – 0135– 2742884 फैक्स न० 2745691 **email : cwlwua@yahoo.co.in**

पत्र संख्या – 2585 /12-1 , देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल 2022

प्रतिलिपिः—प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—State Head & Sr. GM, Bharat Broadband network limited को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

File No.-3201-2D/1/2020-..-FOREST DEPT

I/961/2021

कार्यालय "उत्तराखण्ड वन–सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण,

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सहायक महाप्रबंधक(ट्रांस)
भारत संचार निगम लिमिटेड(बी0एस0एन0एल0),
जिला–नैनीताल।

विषय :– परियोजना स्थल में किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व हवाई दूरी का प्रमाण पत्र के लिए वन विभाग की शुल्क जमा करने के बाद मंजूरी के लिए आवेदन ।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक AGM/Tx/NOFN/Ramnagar/ROW-Forest/2020-21/8 दिनांक 22–04–2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत नेट/NOFN परियोजनाके अन्तर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोस्ट तथा बेलगढ़ फॉरेस्ट चैक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे–किनारे ऑप्टिकल फाइबरी केबल (OFC) डालने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की केएमएल फाइल से हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:–

क्र0सं0	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/कन्जँवेशन रिर्जव /आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	पावलगढ़ कन्जँवेशन रिर्जव की निकटतम सीमा से	अन्दर से होकर जा रही है।
2	कोर्बट टाईगर रिर्जव की निकटतम सीमा से	678 मी0

उक्त हवाई दूरी जी0आई0एस0 तकनीकी द्वारा दी गयी केएमएल फाइल से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date:Mon Jun 07 13:23:05 IST 2021
Reason: Approved

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :–भारत सरकार की " **भारत-नेट / नोफन परियोजना** " के अंतर्गत जनपद नैनीताल में रामनगर वनप्रभाग के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा से कोसी बैराज तथा कोसी बैराज से बेलगढ फॉरेस्ट चेक पोस्ट तथा बेलगढ फॉरेस्ट चेक पोस्ट से क्यारी ग्राम पंचायत भवन तक सड़क के किनारे- किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी **0.678** किमी0 है।

ह0 /
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :–उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।